



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-404/2022

दिनांक- 07-दिसम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- अहरौला

गैरेस्टर एक्ट में अन्तर्जनपदीय गोतस्कर (15 हजार रूपये का इनामिया) गिरफ्तार, आधा दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज

1. घटना का संक्षिप्त विवरण – अभियुक्त 1. रोशन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ अस्थाई पता मड़ियाहूँ बाजार थाना मड़ियाहूँ जनपद जौनपुर जो गैंग लीडर है यह बल्लू अंसारी पुत्र नितिक अंसारी निवासी हसन डीह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के साथ गोबंश की तस्करी व गोकशी का अबैध धन्धा कर धन अर्जित करता है इनके विरुद्ध मु0अ0सं0-237/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ में पंजीकृत है। अभियुक्त उपरोक्त 15 हजार रूपये का इनामिया है।

2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- 07.12.2022 को प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अन्तर्जनपदीय गो-तस्कर (15 हजार रूपये का इनामिया) अभियुक्त रोशन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को फरिहा मोड़ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ से आज दिनांक 07/12/22 को गिरफ्तार किया गया।

3. गिरफ्तारी का स्थान- फरिहा मोड़ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ गिरफ्तारी की तिथी:- दिनांक 07/12/2022 समय 07.30 बजे सुबह

5. पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0237/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़

6. अपराधिक इतिहास:-

(1) मु0अ0सं0237/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़

(2). 98/21 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 व 429 भादवि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

(3). 225/21 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

(4). 182/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, व 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर

(5). 274/19 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना हैदरगंज जनपद अयोध्या

(6). 35/15 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मोतिगरपुर जनपद सुल्तानपुर

(7). 334/15 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना धम्मौर जनपद सुल्तानपुर

7. गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1-रोशन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र करीब 28 वर्ष निवासी माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ अस्थाई पता मड़ियाहूँ बाजार थाना मड़ियाहूँ जनपद जौनपुर

8. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 योगेन्द्र बहादुर सिंह , उ0नि0 धनराज सिंह, हे0का0 इन्द्रमणि पटेल, का0 ऋषिकेश यादव , का0 अरविन्द भाष्कर , का0 प्रदीप कुमार व म0का0 संध्यासिंह चौहान थाना अहरौला आजमगढ़ ।

थाना निजामाबाद

चेकिंग के दौरान अवैध असलहा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 07.12.2022 को व0उ0नि0 रंजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुइया मकदूपूर तिराहा के पास अभियुक्त राजबहादुर यादव पुत्र राजधारी यादव ग्राम खुटहना थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त राजबहादुर यादव के पास एक अदद कट्टा व 01 अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुआ अभि0 का यह कार्य धारा 3/25 A. ACT का अपराध का पाकर कारण गिरफ्तारी बताकर आज समय करीब 12.15 बजे हिरासत में तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग – 1. मु0अ0सं0- 511/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0- 176/19 धारा 380/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0- 159/19 धारा 380/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0- 166/19 धारा 380/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

4. मु0अ0सं0- 0089/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़

5. मु0अ0सं0- 117/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

6. मु0अ0सं0- 224/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त 1.. राजबहादुर यादव पुत्र राजधारी यादव ग्राम खुटहना थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 1 अदद कट्टा 315 वोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस 315 वोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.व0उ0नि0 रंजय कुमार सिंह मय हमराहीयान थाना निजामाबाद, आमजगढ़

थाना सिधारी

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना.. दिनांक 06.12.2022 को वादी मुकदमा श्री रामाश्रय यादव पुत्र सुखु यादव सा0 समेदा थाना सिधारी जनपद- आजमगढ़ थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि अभियुक्त सानन्द पुत्र दयाशंकर साकिन समेदा थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा प्रार्थी के कमरे का दरवाजा बन्द करने हेतु दीवाल उठाया, वादी द्वारा विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा प्रार्थी के दाहिने हाथ की उंगली का ऊपरी हिस्सा दांत से काटकर अलग कर दिया गया तथा वादी की पत्नी श्रीमती गीता यादव व पुत्री आकांक्षा यादव को बुरी तरह मारपीट की गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 446/22 धारा 323/326 भादवि बनाम सानन्द यादव पुत्र दयाशंकर साकिन समेदा थाना सिधारी आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी नरेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा किया जा रहा है। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 504 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 07.12.2022 को उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त सानन्द यादव पुत्र दयाशंकर साकिन समेदा थाना सिधारी आजमगढ़ को चण्डेश्वर मन्दिर के पास सड़क के पटरी से समय 13.00 बजे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग -

1-मु0अ0सं0- 446/22 धारा 323/326/504 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- मु0अ0सं0- 446/22 धारा 323/326/504 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1-सानन्द यादव पुत्र दयाशंकर यादव साकिन समेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ.नि. नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

05 राशि गोवंश के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, प्रतिबंधित मांस को काटने वाले उपकरण बरामद।

दिनांक 06.12.2022 को थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि ग्राम अलाउद्दीनपट्टी मे फैज पुत्र स्व0 शमशाद के घर के पीछे बाउण्ट्री के अन्दर कई गोवंश वध करने के लिए बंधे है इन लोगो द्वारा पहले गोवंश काटा भी गया है , इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचक उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया उसने अपना नाम फैज पुत्र स्व0 शमशाद अहमद निवासी ग्राम अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया तथा उसके कब्जे से प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ ।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मै व मेरा लड़का नाजिम व गांव के सहयोगी परवेज पुत्र लाल मोहम्मद मिलकर काटने वाले है वे लोग गोवंश के साथ ही मेरे घर के पीछे बाउण्ट्री के अन्दर बैठे है उपरोक्त फैज को हिरासत मे लेकर व गोमांस को कब्जे मे लेकर उसके निशानदेही पर उसके घर के बाउण्ट्री के अन्दर घर के पीछे पहुँचे कि वहा पर खूटे मे पांच गोवंश बंधे व उन्ही के पास दो व्यक्ति बैठे दिखाई दिये पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति बाउण्ट्री फांदकर खेतो का फायदा उठाकर भाग गया तथा दूसरे व्यक्ति को मौके पर हमराहीयान द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया अपना नाम नाजिम पुत्र फैज निवासी ग्राम अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया जिसके दाहिने हाथ से एक अदद छूरी बरामद हुई, भागे हुए व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसका नाम परवेज पुत्र लाल मोहम्मद निवासी ग्राम अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया । अभियुक्तगण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 4/25 आयुध अधि0 के अपराध की श्रेणी में आता हैं। अतः पकड़े गये व्यक्तियो फैज व नाजिम उपरोक्त को उनके द्वारा किये गये अपराध का बोध कराकर समय 15.35 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस मे लिया गया । अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-फैज पुत्र स्व0 शमशाद ग्राम अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ ।

2- नाजिम पुत्र फैज निवासीगण ग्राम अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी-

1- 05 किलो 400 ग्राम प्रतिबंधित मांस

2- प्रतिबंधित मांस को काटने के उपकरण 02 अदद छूरी व 01 अदद चापड़ व लकड़ी का ठीहा

03- 03 राशि बछड़ा (गोवंश), 01 राशि गाय व 01 राशि बछिया ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 274/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिव 4/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना अतरौलिया

किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

1. **पूर्व का विवरण-** दिनांक 17.10.22 को वादिनी अतरौलिया आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक- 13.10.2022 को वादिनी की पुत्री उम्र 14 वर्ष को अभियुक्त अमर सिंह पुत्र यशवन्त सिंह निवासी गोईजी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 346/22 धारा 363 भादवि बनाम अमर सिंह उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। जिसमें दौराने विवेचना दिनांक 02.12.22 को पीड़िता उपरोक्त की सफल बरामदगी कर बयान 161/164 द0प्र0सं0 के अवलोकन व मेडिकल रिपोर्ट व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा 376 IPC व 3/4(2) पाक्सो एक्ट बढ़ोत्तरी की गयी।

2. **गिरफ्तारी का विवरण:-** आज दिनांक 07.12.22 को उ0नि0 श्री उमेश चन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त अमर सिंह पुत्र यशवन्त सिंह निवासी गोईजी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को समय 08.10 AM पर हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

3. **पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 346/22 धारा 363/376 IPC व 3/4(2) पाक्सो एक्ट व थाना अतरौलिया आजमगढ़।

4. **गिरफ्तार अभियुक्त-** अमर सिंह पुत्र यशवन्त सिंह निवासी गोईजी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष ।

5. **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -**

1. उ0नि0 श्री उमेश चन्द्र यादव 2. का0 रणविजय 3. का0 राजू यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।